भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2044
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थी

2044. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश में सभी पात्र लाभार्थियों की पहचान कर ली है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को चिह्नित कर उसे पूरा कर लिया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उत्तर प्रदेश सहित वर्तमान में पैनल में शामिल अस्पतालों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक पात्रता-आधारित योजना है, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन के पहले दिन से ही सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को कवर किया जाता है। एबी-पीएमजेएवाई के लिए नामांकन की आवश्यकता नहीं है, हालाँकि, लाभार्थी की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जाते हैं।

पिछले छह वर्षों में इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने और योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। इन पहलों के परिणामस्वरूप 35.8 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। ऐसी पहलों का विवरण इस प्रकार है:

i. आशा कार्यकर्ताओं, पंचायती राज के तहत अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों जैसे क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं (एफएलडब्ल्यू) को लाभार्थी जुटाने और आईईसी से संबंधित कार्यकलापों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ii. रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से अभियान, एसएमएस के माध्यम से बड़े पैमाने पर संदेश, प्रिंट मीडिया विज्ञापन, रेलवे स्टेशनों पर घोषणाएं, रेडियो और टेलीविजन साक्षात्कार, दो लंबी दूरी की ट्रेनों की ब्रांडिंग, आउटडोर होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन, ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग आदि।
iii. आयुष्मान कार्ड निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आयुष्मान भव अभियान और विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई।

(ग) से (ङ): दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक कुल 29,870 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, जिनमें से 13,173 निजी अस्पताल हैं। इसके अलावा, अस्पतालों को सूचीबद्ध करना एक सतत प्रक्रिया है और यह किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (एबी-पीएमजेएवाई मानदंडों को पूरा करने वाले) की आवश्यकताओं और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। इसलिए, अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। चूंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए पीएमजेएवाई के तहत अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार सभी पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को इन मंत्रालयों द्वारा संचालित अस्पतालों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए लगाया गया है।

अनुलग्नक

<u>योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा</u>

राज्य/संघ राज्य	**पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7
आंध्र प्रदेश	2467
अरुणाचल प्रदेश	50
असम	353
बिहार	1022
चंडीगढ़	31
छत्तीसगढ़	1623
दादरा और नागर हवेली	13
दमन और दीव	7
दिल्ली	67
गोवा	16
गुजरात	2664
हरियाणा	1226
हिमाचल प्रदेश	280
जम्मू और कश्मीर	253
झारखंड	562
कर्नाटक	3549
केरल	585
लद्दाख	9
लक्षद्वीप	5
मध्य प्रदेश	1052

महाराष्ट्र	1008
मणिपुर	68
मेघालय	172
मिज़ोरम	88
नागालैंड	76
ओड़िसा	12
पुद्दुचेरी	30
पंजाब	774
राजस्थान	1904
सिक्किम	19
तमिलनाडु	2213
तेलंगाना	1389
त्रिपुरा	138
उत्तर प्रदेश	5802
उत्तराखंड	294
पश्चिम बंगाल	42

नोट: डेटा दिनांक 31 अक्टूबर 2024 तक

*****